न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र स0 07/2018

प्रार्थीया :–	बनाम	अप्रार्थी :–
1. श्रीमति जमनाई पत्नि स्व0 पन्नाराम जाति सीरवी निवासी धाकडी तह0 सोजत जिला पाली।	1.	खीवाराम पुत्र पन्नाराम जाति सीरवी निवासी धाकडी तह0 सोजत जिला पाली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007

01. श्री **कैलाश दवे** एवं कुन्दनमल अधिवक्तागण प्रार्थीया उपस्थित।

02. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 17.09.2020

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने प्रा0 पत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश किया कि प्रार्थीया ग्राम धाकडी तह0 सोजत की निवासी है तथा प्रार्थीया काफी वृद्धावस्था में है, जिसकी उम्र 75 वर्ष है, जो अक्सर वृद्धावस्था के कारण बीमार रहती है। अप्रार्थी प्रार्थीया का जायन्दा पुत्र है, इसके अलावा प्रार्थीया के एक जाईन्दा पुत्र भुण्डाराम है, जो कि वर्तमान में अपने व्यवसाय के सिलसिले मे बैगलोंर मे निवास करता है तथा अपने पैतृक घर ग्राम आता जाता रहा है। जो कि प्रार्थीया का नियमित रूप से भरण, पोषण चिकित्सा तथा अन्य सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करता आ रहा है तथा आज भी कर रहा है। प्रार्थीया ने अपने स्वयं के खर्चे से मजदूरी, खेतीबाडी कर अपने दोनो पुत्रो का पालण–पोषण करती आई है। तथा प्रार्थीया ने अपने पुत्रों की बाल्यकाल अवस्था से लेकर भरण–पोषण, विवाह शादी भी करवाई तथा खाने कमाने हेतु उनके पैरो पर खडा किया तथा प्रार्थीया ने अप्रार्थी एवं अन्य पुत्र भुण्डाराम के समस्त सामाजिक दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन किया है तथा वर्तमान में अप्रार्थी पूर्णतः खाने कमाने हेतु सक्षम है तथा अप्रार्थी वर्तमान में मजदूरी एवं व्यवसाय करता है तथा अप्रार्थी के पास प्रार्थिया के पति की आय से खरीदसुदा के दो–तीन मकान भी है तथा पैतृक भूमि में से खातेदारी कृषि भूमि भी अप्रार्थी एवं अन्य पुत्र भुण्डाराम के पास है अर्थात अप्रार्थी पूर्णतः खाने कमाने एवं प्रार्थिया का भरण–पोषण, चिकित्सा एवं अन्य सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने हेतु पूर्णतः सक्षम है। अप्रार्थी प्रार्थिया के साथ ही प्रार्थिया के पति से प्राप्त मकान मे ही संयुक्त रूप से निवास करते आ रहे है। इतना ही नही प्रार्थिया द्वारा तो अपने पैतृक मकान मे प्राप्त हिस्से को भी अपने दोनों पुत्रों के पक्ष में हकत्याग कर अपना हिस्सा नहीं रखा। बल्कि अप्रार्थी के पास मकान के हिस्से भी है। लेकिन अप्रार्थी उन तमाम पैतृक सम्पति को अकेले हड़प करना चाहता है तथा प्रार्थीया को उक्त तमाम सम्पतियों में से प्रार्थिया की वृद्धावस्था में मारपीट कर बेदखल करना चाहता है। लेकिन अप्रार्थी प्रार्थीया की वृद्धावस्था में किसी प्रकार की कोई सेवा चाकरी भरण पोषण ईलाज, कपडा लता सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नही कर रहा है। बल्कि प्रार्थिया का अन्य पुत्र भुण्डाराम के द्वारा अपने तमाम सामाजिक दायित्वों को निर्वहन किया जा रहा है। अप्रार्थी का यह विधिक एवं नैतिक दायित्व है कि वह प्रार्थिया जो कि अप्रार्थी की माता है, जो वृद्धावस्था एवं विधवा अवस्था में है तथा वृद्धावस्था होने से अक्सर बीमार रहती है। जिसका भरण पोषण, सेवा, चिकित्सा अन्य सामाजिक दायित्वों का निवर्हन करे बल्कि अप्रार्थी अपने उक्त विधिक एवं नैतिक कर्तव्यो के निर्वहन से मुकर रहा है। अप्रार्थी प्रार्थिया का जाईन्दा पुत्र है तथा अप्रार्थी प्रतिमाह 20–25 हजार रूपये आसानी से कमा लेता है, लेकिन प्रार्थिया के पास अपनी स्वयं की आय का

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

कोई पर्याप्त साधन नहीं है। अप्रार्थी अपने उक्त सामाजिक दायित्वों के निर्वहन नही करने के उद्धेश्य से प्रार्थिया के साथ आये दिन गाली गलोच एवं मारपीट कर प्रार्थिया को उक्त पैतृक मकान से बेदखल करने की धमकियॉ देता रहता है। अप्रार्थी प्रार्थिया की किसी तरह से कोई सेवा, चाकरी, भरण–पोषण इत्यादि नही कर रहा है। प्रार्थिया काफी वृद्ध व्यक्ति होने से उनके आय का स्त्रोत नहीं है तथा प्रार्थिया हर समय बीमार रहते है जिसकी सेवा चाकरी भी अप्रार्थी नहीं करता है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी को कई बार सेवा चाकरी करने हेतु समाज के मौजिज व्यक्तियों से भी समझाईश करवाई। लेकिन अप्रार्थी नही माना व अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया को मारपीट कर बेदखल करने को उतारू है। अप्रार्थी का दायित्व है कि अपने वृद्ध माता की सेवा चाकरी समय समय पर करे उनके दवाई, पानी, कपडा लता आदि की व्यवस्था करना भी अप्रार्थी का दायित्व है। लेकिन अप्रार्थी जान बूझकर अपने दायित्व से मुखर होकर अपने अपने परिवार को लेकर अलग रहने लग गये तथा प्रार्थीया को अपने साथ रखने से भी अप्रार्थी ने ईंकार कर दिया है व अप्रार्थी वृद्ध माता को अपने साथ रखने मे शर्मिदगी महसूस करते है। अप्रार्थी मजदूरी एवं व्यवसाय करता है तथा साथ ही कृषि भूमि भी है, जो प्रतिमाह 20–25 हजार रूपये आसानी से कमा लेता है। प्रार्थीया को अपने जीवन निर्वाह हेतु दवाई, पानी, कपडे लते आदि के लिए माहवार 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये आवश्यकता है। प्रार्थीया जईफ उम्र की वृद्ध होने से कई बीमारियों से ग्रसित रहते है, जो राशि अप्रार्थी से प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारी है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रार्थीया को अप्रार्थी से संयुक्त रूप से माहवार 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये भरण पोषण दवाई, पानी कपडा लता व बीमारी के ईलाज व आधार भूत सुविधाओ हेतु दिलाने के आदेश प्रदान किये जाने तथा उनके पैतृक मकान जिसमें प्रार्थीया अप्रार्थी के साथ निवास करती है उक्त मकान से अप्रार्थी प्रार्थीया को बेदखल नही करे इसलिए अप्रार्थी को पाबंद करे किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया दिनांक 14.10.2019 को प्रस्तुत जबाब में प्रार्थीया स्वयं स्वीकार करती है कि उसका भरण पोषण नियमित हो रहा है व भूण्डाराम जो पुत्र है वह सेवा चाकरी कर रहा है व पैतृक मकान मे वह निवास कर रही है व भुण्डाराम सभी भरण पोषण व चिकित्सा व सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा यह स्वीकृत है कि उसे भरण पोषण की रकम की आवश्यकता नही है व पैतृक सम्पति उसके पास है, वह उसमें रहती है ऐसी स्थिति में प्रा0 पत्र प्रार्थिया के कथनानुसार पोषणीय नहीं है। प्रार्थीया द्वारा किया गया कथन गलत है। क्योंकि प्रार्थिया स्वयं यह स्वीकार करती है कि उनके पुत्र बैंगलोर में व्यवसाय करता है व उसे नियमित रूप से भरण पोषण व सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है व स्वयं प्रार्थीया ने अपनी चल सम्पति जो लाखो मे थी भुण्डाराम को प्रदान की है स्वयं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि भुण्डाराम सामाजिक दायित्वो का निर्वाह कर रहा है। स्वयं प्रार्थिया ने अपर जिला न्यायाधीश महोदय के यहां राजीनामा प्रस्तुत किया जिसमें अपना हिस्सा त्यागने का कथन किया। स्वयं प्रार्थीया ने यह भी स्वीकार किया कि कृषि भूमि भी भुण्डाराम व खींवाराम के पास है। व भुण्डाराम की कृषि भूमि की देखभाल व कब्जा प्रार्थी के पास है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थीया की सेवा चाकरी नही हो रही है। अपने आप में विरोधाभाषी कथन है। स्वयं प्रार्थिया जाहिर करती है कि भुण्डाराम सेवा चाकरी कर रहा है। प्रार्थीया चाहे तो अप्रार्थी भी अपने साथ प्रार्थीया को रखने को तैयार है जिस वक्त भुण्डाराम प्रार्थिया को भरण पोषण नही करेगा तो अप्रार्थी अपने पास प्रार्थिया को रखकर माता की सेवा चाकरी करने को तैयार व तत्पर है। यह गलत है कि अप्रार्थी मजदूरी कर जीवन निर्वाह करता है क्योकि प्रार्थीया ने सब पैतृक चल सम्पति भुण्डाराम को प्रदान कर दी हैं। ऐसी स्थिति में करोडों रूपये की सम्पति जो पैतृक थी, वह भुण्डाराम को प्रार्थीया द्वारा प्रदान की गई है अप्रार्थी कभी भी माता का अनादर नही किया है न ही करेगा। यह गलत है कि स्वयं प्रार्थिया ने सेवा चाकरी होने का व भरण पोषण होने का कथन किया है यह भी गलत है कि भुण्डाराम स्वयं प्रार्थीया के

उप खण्ड अधिकारी
मोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

कथनानुसार सेवा चाकरी कर रहा है व उस आधार पर चल सम्पति करोडो की उसे प्रदान की जा चुकी है व सिर्फ अप्रार्थी को परेशान करने हेतु यह मुकदमा किया गया है। यह गलत है कि अप्रार्थी मजदूरी कर जीवन निर्वाह करता है क्योकि समस्त चल सम्पति जो करोडो की थी प्रार्थीया ने भुण्डाराम को प्रदान कर रही है। इस प्रकार जबाब पेश कर प्रार्थीया का प्रा0 पत्र मय खर्चा खारिज फरमाये जाने व दीवानी वाद सांख्या 5/2018 व फैसला दिनांक 20.03.2018 को मददेनजर रखते हुए व प्रस्तुत राजीनामा को मददेनजर रखते हुए याचिका मय खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

उक्त प्रकरण की जांच तहसीलदार सोजत से करवाई गई। तहसीलदार सोजत ने सम्बन्धित पटवारी को प्रा0 पत्र की प्रति भेज जॉच रिपोर्ट मंगवाई। पटवारी धाकडी ने अपनी जॉच मे बताया कि जमनाई पत्नि पनाराम जाति सिरवी निवासी धाकडी के निवास स्थान पर पहुँचा प्रार्थिया के वरिष्ठ विधवा पेशन 1000/– रूपये चालू है। प्रार्थीया खाध्य सुरक्षा से जुडी हुई है। प्रार्थीया के दो पुत्र खीवाराम जो ग्राम धाकडी में खेती का कार्य करता है एवं छोटा पुत्र व्यवसाय अन्य प्रदेश मे है। प्रार्थीया ने पूर्व में पुश्तैनी जमीन अपने दोनों जायन्दा पुत्रों के पक्ष में हक त्याग कर चुकी है। प्रार्थीया छोटे पुत्र के मकान में निवास करती है एवं छोटे पुत्र की खेती की सार संभाल भी करती है। प्रार्थीया मौके पर मिली, जिसमें उसने बताया कि मेरे को किसी प्रकार की जीवन यापन में परेशानी नही है। मौका फर्द मौके पर ही तैयार की मौके पर मौजूद मौतबिरानो ने हस्ताक्षर व अंगुष्ठ करने से मना कर दिया, सा0मि0 है।

उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थीया तथा अप्रार्थी को प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों तथा जबाब के परिपेक्ष्य में सुनाया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 को स्वीकार योग्य है। लिहाजा स्वीकार किया जाना तथा अप्रार्थी खीवाराम से प्रार्थीया को 5000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह भरण–पोषण चिकित्सा दवाईयां, कपड़े आदि के उपयोग उपभोग हेतु दिलवाये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः उक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को प्रतिमाह भोजन, चिकित्सा, दवाईयां, कपड़े आदि की व्यवस्था अर्थात् भरण–पोषण के रूप में 5000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र) भुगतान/प्रदत किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजी जांकर अप्रार्थी को उक्त भरण पोषण राशि प्रतिमाह दिलाई जाकर/स्टाम्पस रसीद प्राप्त की जाकर पालना न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार सोजत को तहरीर के साथ भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 17.09.2020 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner